



Dear Parents,

1. It has come to the notice of the school authorities that a number of children are driving scooters / motorcycles to school. In addition to over speeding, children are often seen triple riding or driving recklessly. While the school is proactively taking measures to ensure safety of all children by checking vehicles/ helmets/licence at the school gate, the children however, often do not get the vehicles up to the school but park here and there. The school cannot take care of safety in such cases.
2. Accordingly, we need parents to ensure that they are not allowing their children to drive two wheelers etc. which not only endangers their life but that of others too.
3. A Driving Licence is an official document certifying that the holder is suitably qualified to drive a motor vehicle. According to the Motor Vehicle Act, 1988, individuals having learner licence and between 16 to 18 years of age can ride a vehicle of 50 cc or less engine capacity alone for personal use. Moreover, a learner can only drive a non-geared vehicle less than 50cc engine capacity only if he/she has a pillion rider having a permanent licence. Thus, a person with learner licence driving a two-wheeler of more than 50cc (eg. Honda Activa etc.) is violating Motor Vehicles Act. In case of any mishap there will be no liability of school authorities whatsoever for these violators. We need parents to be aware of the relevant road traffic rules. They are required to take cognizance of the above aspects and give an undertaking as given below:

UNDERTAKING

- a. I certify that I will not allow my ward, _____ (name), Age/sex _____, a student of _____ (class/sec), to drive any non-geared vehicle more than 50 cc engine capacity or any other vehicle as the same is not permitted acc to the Motor Vehicle Act. He has learner licence no. _____, category _____. The validity of the licence is _____. I will always ensure that he/she does not violate the Motor Vehicle Act, 1988.
- b. If my ward is found to be driving a geared or even a non-geared vehicle of 50 cc or more capacity, I will be solely responsible for any outcomes and not hold the school or any other party responsible for it under any circumstances whatsoever.

Sign.: _____

Sign.: _____

Name of the Parent: _____

Name of the student: _____

Rank & Unit: _____

Class/Sec.: _____

Contact No.: _____

Date: _____



प्रिय अभिभावक

- विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह बात ध्यान में आई है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र मोटरसाइकिल स्कूटर से विद्यालय पहुँच रहे हैं। यह बात भी ध्यान में आई है कि छात्र अक्सर तेज़ गति व तीन सवार होकर नियमों को ताक पर रखकर सवारी कर रहे हैं। जहाँ विद्यालय छात्रों की सुरक्षा हेतु सभी उचित कदम उठा रहा है। वाहनों की जाँच के हेल्मेट क्लाइसेंस इत्यादि विद्यालय के प्रवेश द्वार पर जाँच किए जाते हैं। फिर भी कई छात्र वाहनों को विद्यालय प्रांगण में ना लाकर यत्र-तत्र पार्क कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय उनकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- सभी परिजनों को सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि वे अपने बच्चों को दो पहिया स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति प्रदान ना करें जो कि ना सिर्फ उनकी जान को जोखिम में डालने वाला है अपितु दूसरों के लिए भी असुरक्षित है।
- यद्यपि ड्राइविंग लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो कि यह दर्शाता है कि धारक वाहन चलाने हेतु योग्य है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार जिनकी आयु सोलह से अठारह वर्ष के बीच है और जिनके पास नौसिखिया अनुज्ञापत्र लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है वे केवल 50 सी सी या कम क्षमता वाले वाहन का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक नौसिखिया लर्नर गियर रहित वाहन चला सकता है जो कि केवल 50 सी सी की क्षमता से नीचे का हो। भी इस स्थिति में कि वाहन चलाते समय उसके पीछे स्थायी अनुज्ञापत्र परमानेंट लाइसेंस वाला सहयात्री बैठा हो। यदि चालक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह अधिनियमों का उल्लंघन करता हुआ माना जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इन नियमों का पालन न करने वाले चालक के प्रति विद्यालय प्रबंधन ज़िम्मेदार नहीं होगा। हमारा उद्देश्य परिजनों को यातायात के नियमों से अवगत करवाना है। इसलिए परिजन उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखें और नीचे दिए गए उप अंडरटेकिंग को पूरा करें।

उप अंडरटेकिंग

- मैं यह प्रमाणित करता हूँ अपने बच्चे _____ नाम आयु _____ लिंग _____ विद्यार्थी _____ कक्षा वर्ग _____ को किसी भी ऐसे वाहन को चलाने की अनुमति प्रदान नहीं करूँ जिसका इंजन 50 सी सी क्षमता से ऊपर का हो और अन्य ऐसा वाहन जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मान्य ना हो। उसका नौसिखिया अनुज्ञापत्र लर्नर लाइसेंस _____ श्रेणी कैटेगरी _____ है। इस अनुज्ञापत्र की समय सीमा _____ तक है। मैं हमेशा सुनिश्चित करूँगा कि वह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन ना करें।
- यदि मेरा बच्चा गियर वाले अथवा गियर रहित वाहन जो कि 50 सी सी की क्षमता से ऊपर का हो चलाते हुए पाया गया तो किसी भी परिस्थिति में मेरे अतिरिक्त विद्यालय या अन्य कोई भी ज़िम्मेदार नहीं माना जाएगा बल्कि मैं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

हस्ताक्षर _____

हस्ताक्षर _____

परिजन का नाम _____

छात्र का नाम _____

रैंक व यूनिट _____

कक्षा व वर्ग _____

फोन नं: _____

दिनांक _____